

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक— प्र0/BSPTCL-06/2017
सेवा में,

पटना, दिनांक—

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के0भी0 के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्काल 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा कराये गये 19वीं पावर सर्वे के अनुसार बिहार राज्य की शीर्ष विद्युत् माँग 6576 मेगावाट सम्भावित है। इस माँग को पूरा करने हेतु ट्रांसमिशन कम्पनी एवं पावरग्रिड के संयुक्त प्रयास से विस्तृत संचरण प्रणाली के अध्ययनोंपरांत 400 के0भी0 एवं 220 के0भी0 स्तर पर वर्ष 2021-22 के अन्त तक कुल विद्युत् माँग के अनुरूप संचरण प्रणाली विस्तृत करने हेतु योजना बनायी गयी है जो राज्य की सम्भावित विद्युत् माँग को पूरा कर सकेगी। उपर्युक्त योजना के तहत लिये गये कार्यों पर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की तकनीकी सहमति प्राप्त है।

2. योजना में केन्द्र के माध्यम से Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के द्वारा तीन नये 400/220/132 के0भी0 के ग्रिड उपकेन्द्र (ISTS) क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती में बनाये जाने हैं। उपर्युक्त तीनों नये ग्रिड उपकेन्द्रों से संबंधित 220/132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र रक्सौल एवं 220 के0भी0 के 930 सर्किट किलोमीटर एवं 132 के0भी0 के 407 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) संचरण लाईन का निर्माण बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 द्वारा किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये अनुमानित है। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद संचरण प्रणाली 400 के0भी0 एवं 220 के0भी0 स्तर पर वर्ष 2021-22 के अन्त तक कुल विद्युत् माँग को पूरा करने में सक्षम हो जायेगी। इस योजना को 2021-22 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021-22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत् माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के0भी0 के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से सम्बन्धित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रु0 राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्काल 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101- बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० की परियोजना, मांग सं०-10, विपत्र कोड-10-4801057890101 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं शेष अगले वित्तीय वर्षों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0044-बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200044 में जमा की जाएगी।
6. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2017 के पृष्ठ संख्या-8/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSPTCL-06/2017 पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-08.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSPTCL-06/2017 3488

/पटना, दिनांक- 20/11/2017

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रांतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।